कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

40

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2018 अपील
अपील – 3635/2018/शिवपुरी/स्टांप अधि

1. संजय माथुर पुत्र श्री बद्रीप्रसाद माथुर
निवासी वशिष्ठ कॉलोनी डाक बंगला के पास
शिवपुरी (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 13.6.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22.6.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉप
शिवपुरी
2. श्रीमती सावित्री बेवा खरगा जाटव
3. रामदास पुत्र खरगा जाटव
4. छऊआ उर्फ मनोज पुत्र खरगा जाटव
निवासीगण ग्राम कांकर तहसील व जिला
शिवपुरी (म.प्र.) कमांक 2 ता 4 (विकेतागण)
5. हजारीं प्रसाद पुत्र श्री चिमनलाल दीक्षित
निवासी गायत्री कॉलोनी, शिवपुरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. नरेन्द्र हरियाणी पुत्र श्री भगवानदास
निवासी न्यू ब्लॉक शिवपुरी, जिला शिवपुरी
7. अर्चित शिवहरे पुत्र श्री विजय शिवहरे
निवासी न्यू ब्लॉक शिवपुरी, जिला शिवपुरी
8. गोपाल प्रसाद पुत्र श्री चिन्टूलाल शिवहरे
निवासी कटरा मोहल्ला, पुरानी शिवपुरी

...... प्रत्यर्थीगण

मुकेश भार्गव
13.6.18 एडवोकेट
ग्वालियर

01 13/6/18

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 650/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47'क(5) के अधीन द्वितीय अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1.(क)	अपीलार्थी का पूरा नाम,पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता	–	उपर्युक्त उनमानानुसार व्यवसाय – कृषि – अपीलार्थी
(ख)	लिखित का निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यकित का पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता	–	उपर्युक्त उनमानानुसार
(ग)	लिखित के अधीन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता	–	उपर्युक्त उनमानानुसार अपीलार्थी
(घ)	लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार	–	19.11.2012 विकय पत्र
(ड)	रजिस्ट्रीकरण कमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम जहां लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया था	–	2012 दिनांक 19.11.2012 उप पंजीयक कार्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक अपील–3635/2018/शिवपुरी/स्टाम्प अधि.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-08-18	यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 650/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–12–2017 के विरूद्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, ग्वालियर में दिनांक 22–6–18 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अपील की प्रचलनशीलता एंव अवधि–विधान की धारा–5 के आवेदन पर अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 27–12–2017 की सूचना अभिभाषक ने समय पर नहीं दी। दिनांक 25–5–18 को अभिभाषक ने मिलने पर आदेश की जानकारी हुई। तब आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जावे। अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर तथा अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में अंकित तथ्यों पर विचार करने से परिलक्षित है कि अपीलांट स्वयं् स्वीकार कर रहा है कि उसके व्दारा समय रहते अभिभाषक से प्रकरण की अद्वतन स्थिति नहीं ली जाती रही है। 1. लंगरी बनाम छोटा 1992 रा0नि0 289 में माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है कि कार्यवाही में अनुपस्थिति – काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना – मामले के भाग्य के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना – विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सद्भाविक नहीं माना जा सकता।" 2. प्रस्तुत की गई अपील विहित अवधि के भीतर नहीं थी अपितु समयवर्जित थी। विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना की गई थी, परन्तु	

विलम्ब क्षमा किये जाने के संबंध में दर्शाया गया कारण समुचित कारण की कोटि में नहीं आता था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार कर दिया गया। स्टेट आफ एम0पी0 बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे0एल0जे0 36 म0प्र0 तथा कृष्णदास बनाम म्युनिस्पिल कार्पो0 ग्वालियर 1997 (2) म0प्र0वी0नो0 111 से अनुसरित.

3. अवधि विधान की धारा–5 – अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है । अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण गुणदोष पर विचार किये बिना अमान्य की जाती है।

सदस्य